

निर्वाचन अधिकारी, चिकित्सा परिषद् चुनाव एवं निदेशक (प.क.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

कमांक चि.प./चुनाव/09/

दिनांक.....2009


संशोधित अधिसूचना

राजस्थान राज्य चिकित्सा परिषद् में पंजीकृत समस्त चिकित्सकों को सूचित किया जाता है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956 की धारा 3 (1) (सी) के अन्तर्गत राजस्थान मेडिकल ग्रेजुएट कोनसिटेवेन्सी से एक सदस्य का निर्वाचन किया जाना है। निर्धारित योग्यता वाले चिकित्सकों में से जो भी चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, वे निम्नहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से नामांकन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

चुनाव-कार्यक्रम

1. नामांकन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि	09.02.2009	3:00 सांय
2. पूर्ण नामांकन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि	16.02.2009	3:00 सांय
3. नामांकन पत्रों की जाँच	20.02.2009	3:00 सांय
4. नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि	27.02.2009	3:00 सांय
5. मतपत्र भिजवाने की अन्तिम तिथि	04.05.2009	
6. मतपत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि	20.05.2009	3:00 सांय
7. मतों की जाँच एवं गणना	30.05.2009	

आज्ञा से


(डॉ. एम.एल.जैन)
निर्वाचन अधिकारी

अधिसूचना		निर्वाचन अधिकारी, चिकित्सा परिषद पुनाव एवं निर्देशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर	
राजस्थान राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत समस्त चिकित्सकों को सूचित किया जाता है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1986 की धारा 3(1)(सी)के अन्तर्गत राजस्थान मेडिकल रेगुलेंट कोनसिटेबेन्सी से एक सदस्य का निर्वाचन किया जाना है। निर्धारित योग्यता वाले चिकित्सकों में से जो भी चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, वे निम्नहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से नामांकन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।			
नामांकन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि	09.02.2009	सायं 3.00	
पूर्ण नामांकन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि	16.02.2009	सायं 3.00	
नामांकन पत्रों की जाँच	20.02.2009	सायं 3.00	
नाम बापस लेने की अन्तिम तिथि	27.02.2009	सायं 3.00	
मतपत्र पिजवाने की अन्तिम तिथि	04.05.2009		
मतपत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि	20.05.2009	सायं 3.00	आज्ञा से:- (डॉ. एम. एन. जैन)
मतों की जाँच व गणना	30.05.2009		निर्वाचन अधिकारी

अधिसूचना		निर्वाचन अधिकारी, चिकित्सा परिषद पुनाव एवं निर्देशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर	
राजस्थान राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत समस्त चिकित्सकों को सूचित किया जाता है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1986 की धारा 3(1)(सी)के अन्तर्गत राजस्थान मेडिकल रेगुलेंट कोनसिटेबेन्सी से एक सदस्य का निर्वाचन किया जाना है। निर्धारित योग्यता वाले चिकित्सकों में से जो भी चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, वे निम्नहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से नामांकन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।			
नामांकन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि	09.02.2009	सायं 3.00	
पूर्ण नामांकन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि	16.02.2009	सायं 3.00	
नामांकन पत्रों की जाँच	20.02.2009	सायं 3.00	
नाम बापस लेने की अन्तिम तिथि	27.02.2009	सायं 3.00	
मतपत्र पिजवाने की अन्तिम तिथि	04.05.2009		
मतपत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि	20.05.2009	सायं 3.00	आज्ञा से:- (डॉ. एम. एन. जैन)
मतों की जाँच व गणना	30.05.2009		निर्वाचन अधिकारी